# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर
## पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

| प्रकरण संख्या | तारीख दायर | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 01/07/2010 | 04.03.2010 | 15.07.2022 |

**बउनवान**

1. श्यामलाल पुत्र डालचन्द जाति महाजन वासी मुण्डाना तह– तिजारा हाल निवासी स्कीम न. 10 मकान न. 334 अलवर।
2. श्रीमति अनामिका पत्नि अशोक गुप्ता जाति महाजन निवासी 120 स्कीम न. 2 अलवर

वादीगण

बनाम

1. श्रीमति शान्ति देवी पत्नि रामवतार महाजन निवासी बीच का मौहल्ला अलवर
2. मुरलीधर उर्फ राधेरेपाम पुत्र किशनचन्द जाति महाजन निवासी केडलगंज अलवर
3. राज. सरकार जये तहसीलदार लैण्ड होल्डर अलवर

प्रतिवादीगण

दावा 88, 89, 188 राज. काश्त. अधि.1955

**निर्णय**

वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 89,188 राज काश्त. अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि साबिक आराजी ख.न. 172/1 रकबा 0.17 बिस्वा, 172/2 रकबा 2 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम मुंगस्का तहसील अलवर के हाल ख. नं. 183 रकबा 0.77 है. कायम हुए ख.नं. 172/1 रकबा 0.17 बिस्वा प्रतिवादिनी सं. –1 से मिन वादी व श्रीराम ने 1/2 हि. व कन्हैयालाल पुत्र रघुनाथ सहाय यानि (मिनवादी श्यामलाल ने आराजी मुतनाजा का निस्फ हिस्सा निस्फ हिस्सा व कन्हैयालाल मजदूर ने निस्फ हिस्सा) ने जरिये दस्तावेज बयनामा दिनांक 24.11.1980 को खरीद किया। सीएम ने अपना 1/4 हिस्सा जर्ये दस्तबरदारी दिनांक 23.05.1988 को मिन वादी न. 1 श्यामलाल के पक्ष में तहरीर व तकमील कर दी। यानि मिन वादी न. 1 का उक्त आराजी मुतनाजा में 1/2 हिस्सा है। व 1/2 हिस्सा कन्हैयालाल मजकूर का था, जिस कन्हैयालाल ने अपना हिस्सा जर्ये वसीयत वादनी नं.2 के पक्ष में दिनांक 03.01.2002 को कर दी। कन्हैयालाल का दिनांक 19.01.2002 को स्वर्गवास हो गया है। जिससे उक्त आराजी पर वादीगण काबिज है। प्रतिवादी सं. 1 ने आराजी मुतनाजा के बाबत सपलीमेन्ट्री डीड दिनांक 16.04.1984 को कन्हैयालाल श्यामलाल, श्रीराम के पक्ष



उपखण्ड अधिकारी
अलवर

व तहसील किया है। वादीगण उक्त आराजी पर वक्त खरीद से काबिज है। बन्दोबस्त सावत 2061 होने पर आराजी मुतनाजा व आराजी खसरा नम्बर 172/2 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा दोनो को मिलाकर हाल खसरा 183 रकबा 77 एवर कायम किया है। एवं आराजी मुतनाजा को प्रतिवादी न. 2 के खाते में गलत तरीके से दर्ज कर दी है। जो खिलाफ कानून है। आराजी मुतनाजी 0.17 बिस्वा से प्रतिवादी न. 2 का कोई ताल्लुक, सरोकार नही है। लेकिनप्रतिवादी नम्बर-2 ने अपना बेजा रसूख दिखाकर वादीगण की खरीदशुदा आराजी पर गलत तरीके से अपने नाम करा ली है। जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। अतः डिक्री इश्तकरार हक व दुरुस्ती इन्द्राज मशअरे सादिर फरमाई जावें कि आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर साबिक 172/1 रकबा 17 बिस्वा तथा 172/2 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 183 रकबा 0.77 है0 वाके ग्राम मूंगस्का में वादिनी संख्या 1 का निस्फ हिस्सा व वादीनी न0-2 का निस्फ हिस्सा के खातेदार काश्तकार के काबिज है व चूंकि उक्त आराजी मुतनाजा वादीगण (कन्हैयालाल व श्यामलाल व श्रीराम) ने प्रतिवादी संख्या 1 से जरिये बयनामा खरीद की है व बाद खरीद वादीगण आराजी पर बेकब्जियति से काबिज व दखिल है व वादीगण आराजी मुतनाजा के बोनाफाइड परचेजर के काबिज व दखिल है व सैटलमेंट के दौरान प्रतिवादी नम्बर 2 ने सैटलमेंट अधिकारी से बेजा रसुक मिलाकर आराजी मुतनाजा जो वादीगण की खरीदशुदा है पर अपने नाम इन्द्राज कराया है वो इन्द्राज बमुकाबले वादीगण बातिल व बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी से व शुन्य के है बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे। कागजात माल में वादीगण का नाम दर्ज आराजी मुतराजा किया जावें व प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावें कि वो वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा ना करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत किया कि गत खसरा नम्बर 172/1 रकबा 17 बिस्वा के बाबत् वादी व मिन प्रतिवादी के मध्य कोई विवाद किसी प्रकार का नही है। आराजी मुतनाजा के हाल खसरा नम्बर क्या बने है। मुझे इसकी कोई जानकारी नही है। वादी ने मिन प्रतिवादी के खिलाफ कोई अनुतोष नही चाहा है। प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने जवाब में कथन किया कि साबिक खसरा नम्बर 172/1 रकबा 17 बिस्वा व 172/2 रकबा 2 बीघा के 4 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 183 रकबा 0.77 है0 बने है। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये बयनामा दिनांक 24.11.1980 उसमें वर्णित जमीन जिसमें 2 भट्टे कली के 1 गोदाम व 1 दफ्तर, 3 स्टोर जिसके चारो तरफ अहाता बना हुआ है। जिसकी पैमाईश उसमें वर्णित की गई है। उसे कन्हैयालाल पुत्र रघुनाथ सहाय 1/2 हिस्सा व श्रीराम , श्यामलाल पुत्रान डालचन्द को विक्रय किया गया था। मुझे यह जानकारी नही है कि श्रीराम ने अपने 1/4 हिस्से की बावत् दस्तबरदारी वादी के हक में निष्पादित की हो। इसी प्रकार मिन प्रतिवादी को कन्हैयालाल द्वारा निष्पादित वसीयतनामे की भी कोई जानकारी नही है। प्रकरण में साक्ष्य आदी लेकर बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकीलवादी ने अपनी बहस में कथन किया कि

वादीगण द्वारा एक दावा आराजी खसरा नम्बर 172/1 रकबा 17 बिस्वा तथा आराजी खसरा नम्बर 172/2 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 183 रकबा 0.77 है. वाकै ग्राम मूंगस्का तहसील व जिला अलवर की बावत माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। वादीगण की खरीदशुदा आराजी 172/1 रकबा 17 बिस्वा व 172/2 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा दोनो खसरा नम्बरान का सैटिलमेण्ट के दौरान एक नम्बर हो गया। जिसका हाल खसरा नम्बर 183 कुल रकबा 0.77 है है। उक्त वादीगण का हाल खसरा नम्बर 183 में 0.21 है, रकबा है। वादीगण



उपखण्ड अधिकारी
अलवर

का हाल आराजी खसरा नम्बर 183 में हिस्सा 0.21 हैक्टेयर दर्ज कर हाल खसरा नम्बर 183 में वादीगण का 0.21 है. रकबे की बाबत दावा डिक्री फरमाया जाये। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष के आधार पर डिक्री किये जाने का कथन किया।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार गत खसरा नम्बर 172/1 रकबा 17 बिस्वा प्रतिवादी नम्बर 1 से वादी व श्रीराम ने 1/2 हिस्सा व कन्हैयालाल पुत्र रघुनाथ सहाय यानि श्यामलाल ने व श्रीराम ने आराजी का निस्फ भाग कन्हैयालाल से दिनांक 24.11.1980 को जरिये पंजीकृत बयनामा खरीद किया। श्रीराम ने 1/4 हिस्सा जरिये दस्तबरदारी दिनांक 28.05.1988 को वादी नम्बर 2 श्यामलाल के पक्ष में तहरीर कराया। अर्थात श्यामलाल का उक्त आराजी मुतनाजा में 1/2 हिस्सा व कन्हैयालाल का 1/2 हिस्सा है। कन्हैयालाल ने अपना हिस्सा वादी संख्या 2 को जरिये वसीयत में दिया। प्रतिवादी नम्बर 1 ने उक्त आराजी के बाबत् सप्लीमेन्ट्री डीड दिनांक 16.04.1984 को कन्हैयालाल, श्यामलाल व श्रीराम के पक्ष में तकमील कराया। इस प्रकार वादीगण गत आराजी खसरा नम्बर 172/1 रकबा 17 बिस्वा के बोनाफाईड परचेजर की हैसियत से खातेदार हुए। बन्दोबस्त सम्वत 2051 में गत खसरा नम्बर 172/1 रकबा 17 बिस्वा व 172/2 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा को मिलाकर हाल खसरा नम्बर 183 रकबा 77 एयर कायम किया है व प्रश्नगत आराजी को वादीगण के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज कर दिया। प्रतिवादी संख्या 2 ने विवादित आराजी के संबंध में किसी प्रकार का कोई उज्र पेश नही किया है। वादीगण द्वारा बन्दोबस्त विभाग द्वारा सम्वत 2051 में की गई उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त कर अपने नाम का इन्द्राज चाहा है। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वाद–वादी गण विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि गत खसरा नम्बर 172/1 रकबा 17 बिस्वा, 172/2 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 183 रकबा 0.77 में से 0.21 है0 वाके ग्राम मुंगस्का में से प्रतिवादी संख्या 2 मुरलीधर उर्फ राधेश्याम पुत्र किशनचन्द जाति महाजन का नाम कलमजन करते हुए उसके स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें।

( प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 15.07.2022 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

( प्यारे लाल सोठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर